

यूको बैंक
सम्मान आपके विश्वास का



UCO BANK

Honours Your Trust

HO/Finance/Share/ 2234 /2016-17

Date : 13.04.2016

The Manager
Listing Department
National Stock Exchange of India Ltd.
"Exchange Plaza"
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai – 400 051

The Manager
Bombay Stock Exchange Ltd.,
Floor 25
Pheroj Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai – 400 001

Dear Sir,

Sub: Notice of Extraordinary General Meeting 2016.

We hereby inform that Extraordinary General Meeting of the Shareholders of UCO BANK will be held on the Saturday, the 7th May, 2016 at 11 A.M. at Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata- 700 027 to transact the following business :

Approval for issue of 22,54,64,190 (Twenty two crore fifty four lakh sixty four thousand one hundred ninety only) equity shares of face value of Rs.10/-each (Rupees Ten only) for cash at an issue price of Rs. 41.47 (Rupees forty one and paise forty seven only) including premium of Rs.31.47 (Rupees thirty one and paise forty seven only) per share determined in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations 2009, aggregating to Rs. 935 crore (Rupees Nine hundred thirty five crore only) on preferential basis to Government of India.


A copy of the notice of Extraordinary General Meeting of the shareholders is enclosed for your kind perusal.

Kindly Acknowledge.

Yoursfaithfully

(N PURNA CHANDRA RAO)
COMPANY SECRETARY





यूको बैंक
UCO BANK

असाधारण आम बैठक हेतु नोटिस
शनिवार, 7 मई, 2016
पूर्वाह्न 11.00 बजे

NOTICE FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
Saturday, 7th May, 2016
11.00 a.m.

प्रधान कार्यालय : 10 बी.टी.एम. सरणी, कोलकाता - 700001
Head Office : 10, B.T.M. Sarani, Kolkata - 700001
वेबसाइट / Website : www.ucobank.com



यूको बैंक

UCO BANK

प्रधान कार्यालय: 10, बी.टी.एम. सरणी, कोलकाता-700001

सूचना

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि यूको बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक शनिवार, दिनांक 7 मई, 2016 को पूर्वाह्न 11.00 बजे भाषा भवन सभागार, नेशनल लाइब्रेरी, बेल्वेडेयर रोड, अलीपुर, कोलकाता-700 027 में निम्नलिखित कार्यों के लिए आयोजित की जाएगी:

निम्नांकित संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में विचार किए जाने और उपयुक्त पाए जाने पर संशोधन सहित या उसके बिना पारित करने हेतु:

“यह संकल्प किया जाता है कि बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 एवं यूको बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2003 के प्रावधानों के अनुसरण में और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार(जीओआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (एसईबीआई), और/या इस बारे में अन्य कोई प्राधिकरण जिसकी आवश्यकता हो, के अनुमोदनों, अनुमतियों और मंजूरीयों, यदि कोई हों, के अधीन तथा ऐसे नियमों, शर्तों एवं संशोधनों के अधीन जो कि उनके द्वारा ऐसे अनुमोदनों को मंजूरी देते समय निर्दिष्ट किए जाएं, जिन पर बैंक के निदेशक मंडल की सहमति हो तथा सेबी (पूँजी निर्गमन एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियमन, 2009 (सेबी आईसीडीआर विनियम) और आरबीआई एवं सभी अन्य संबंधित प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर विहित विनियमों के अधीन, बैंक के इक्विटी शेयरों को सूचीकृत करनेवाले स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीकरण समझौतों के अधीन, भारत सरकार को अधिमानी आधार पर सेबी आईसीडीआर विनियमन 2009 के विनियम 76(1) के अनुसरण में निर्धारित कुल रु. 935 करोड़ (रुपये नौ सौ पैंतीस मात्र) के प्रतिशेयर रु.31.47 (स्मये इकतीस पैसे सैंतालीस मात्र) के प्रीमियम सहित, प्रति इक्विटी शेयर रु. 41.47 (रुपये इकतालीस पैसे सैंतालीस मात्र) के निर्गम मूल्य पर नकद में प्रत्येक रु.10/- (रुपये 10 मात्र) अंकित मूल्य के **225464190** (बाईस करोड़ चौवन लाख चौसठ हजार एक सौ नब्बे मात्र) इक्विटी शेयरों का सृजन, प्रस्ताव, निर्गम एवं आबंटन करने के लिए बैंक के शेयरधारकों की सहमति बैंक के निदेशक मंडल (जिसे इसके बाद “मंडल” कहा जाएगा) को इसके माध्यम से दी जाती है।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्गम मूल्य के निर्धारण के लिए संबंधित तारीख **7 अप्रैल, 2016** होगी।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि प्रस्ताव में ऐसे किसी भी संशोधन को स्वीकार करने का प्राधिकार एवं शक्तियाँ मंडल में निहित होंगी जिसे भारत सरकार / भारतीय रिजर्व बैंक/ भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड / स्टॉक एक्सचेंज, जिनमें बैंक के शेयर सूचीकृत हैं, या अन्य उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा अपने निर्गमन, आबंटन एवं उनके सूचीकरण हेतु अपने अनुमोदन, सम्मति, अनुमति एवं संस्वीकृति देते/ प्रदान करते समय आवश्यक समझा जाए या अधिरोपित किया जाए और जिसमें मंडल की सहमति हो।”-

“यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्गमित होनेवाले उक्त इक्विटी शेयर, बैंक के विद्यमान इक्विटी शेयरों की समतुल्य श्रेणी के होंगे और लाभांश घोषित करने के समय लागू सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप घोषित लाभांश के हकदार होंगे।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए इसके द्वारा मंडल को प्राधिकृत किया जाता है कि वह ऐसी सभी कार्रवाइयों, कृत्यों, मामलों और बातों को क्रियान्वित करे जिन्हें वह अपने विवेक के अनुसार आवश्यक, उपयुक्त एवं वांछनीय समझे, इक्विटी शेयरों के निर्गमन के संबंध में उठने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या शंका का निपटारा करे और ऐसी सभी कार्रवाइयों, कृत्यों, मामलों और बातों को, सभी दस्तावेजों और लेखों को अंतिम रूप दे और कार्यान्वित करे, जो आवश्यक, वांछनीय या समीचीन हो, उसके विवेकानुसार उपयुक्त, उचित या वांछनीय प्रतीत हो, जिसके लिए शेयरधारकों की सम्मति या अनुमोदन प्राप्त करने की आगे कोई भी आवश्यकता न पड़े, अथवा इस उद्देश्य या प्रयोजन से प्राधिकृत किया जाता है कि शेयरधारकों द्वारा इस संकल्प के प्राधिकार से, व्यक्त रूप से इस पर अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया जाना मान लिया गया है।”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि मंडल स्वयं को प्रदत्त सभी या किन्ही शक्तियों को बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशकों में से किसी को, अथवा ऐसे किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित करने के लिए इसके द्वारा प्राधिकृत किया जाता है जिसे वह उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए उपयुक्त मानता है।”

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 11.04.2016

(आर.के. टक्कर)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी



यूको बैंक

UCO BANK

Head Office : 10, B.T.M. Sarani, Kolkata - 700001

NOTICE

NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the shareholders of UCO Bank will be held at Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata- 700 027 on Saturday, the 7th May, 2016, at 11.00 A.M. to transact the following business:

To consider and if thought fit pass with or without modification(s) the following resolution as a special resolution(s):

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and UCO Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI ICDR Regulations) and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called “the Board”) to create, offer, issue and allot **22,54,64,190** (Twenty Two Crore Fifty Four Lakh Sixty Four Thousand One Hundred Ninety) equity shares of face value of Rs.10/- each (Rupees Ten only) for cash at an issue price of Rs. 41.47 (Rupees Forty One and paise Forty Seven only) per equity share including premium of Rs. 31.47 (Rupees Thirty One and paise Forty Seven only) per share determined in accordance with Regulation 76 (1) of SEBI ICDR Regulations 2009, aggregating to Rs.935 crore (Rupees Nine Hundred Thirty Five crore only) on preferential basis to Govt. of India

“RESOLVED FURTHER THAT the Relevant Date for determination of the Issue Price is **7th April, 2016**.

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued shall rank *pari passu* with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend, if any, declared in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & Chief Executive Officer or any of the Executive Directors or such other officer of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution.”

By Order of the Board Directors

Place : Kolkata
Date : 11.04.2016

(R.K. Takkar)
Managing Director & Chief Executive Officer

**नोट:**

व्याख्यात्मक विवरण यहाँ दिया जा रहा है

परोक्षी की नियुक्ति

बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने के लिए हकदार शेयरधारक अपने बदले बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने हेतु किसी परोक्षी को नियुक्त करने का भी हकदार है और यह जरूरी नहीं है कि ऐसा परोक्षी बैंक का कोई शेयरधारक ही हो। परोक्षी फार्म के प्रभावी होने के लिए यह जरूरी है कि वह बैंक के प्रधान कार्यलय में कंपनी सचिव, यूको बैंक, वित्त विभाग, 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कोलकाता- 700 001 के पास इस असाधारण आम बैठक की तारीख से कम-से-कम **चार दिन** पूर्व यानी **सोमवार, 2 मई, 2016** को शाम 5.00 बजे तक या उसके पूर्व प्राप्त हो जाए। कृपया नोट करें कि बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को यूको बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

इस प्रकार नियुक्त परोक्षी को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा परंतु वह अपने स्वीकृतिकर्ता की ओर से उपस्थित होकर मतदान कर सकता है।

प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:

कोई भी व्यक्ति बैंक की शेयरधारक किसी कंपनी या किसी भी निगमित निकाय के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में उपस्थित होने या मतदान करने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करनेवाले संकल्प की एक प्रति, जो उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रति हो जिसमें संकल्प पारित किया गया था, बैंक के प्रधान कार्यालय में कंपनी सचिव, वित्त विभाग, यूको बैंक, 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, 3रा तल, कोलकाता- 700 001 में असाधारण आम बैठक की तारीख से कम-से-कम चार दिन पूर्व यानी **सोमवार, 2 मई, 2016** को शाम 5.00 बजे तक या उसके पूर्व प्राप्त न हो जाए। नोट करें कि बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को यूको बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम 2003 के उपबंधों के अनुसार प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पत्र :

शेयरधारकों की सुविधा के लिए इस सूचना के साथ उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पत्र सह मत पत्र पास संलग्न किया जा रहा है। शेयरधारकों / परोक्षीधारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उसे भरें और उसमें उपलब्ध कराए गए खाली स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें तथा बैठक स्थल पर उसे जमा करें। शेयरधारकों के परोक्षी / प्राधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पत्र में यथास्थिति 'परोक्षी' या 'प्राधिकृत प्रतिनिधि' लिख देना चाहिए।

इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान

कंपनियाँ (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के साथ पठित सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 के विनियम 44 के अनुसरण में बैंक के शेयरधारकों को असाधारण आम बैठक में इलेक्ट्रॉनिक साधनों (रिमोट ई-मतदान) द्वारा मतदान करने की सुविधा देना बाध्यकारी है।

बैंक के शेयरधारक बैठक की सूचना में निहित जानकारी के अनुसार रिमोट ई-मतदान प्रणाली के जरिए विचारणीय मर्दानों पर मत दे सकते हैं।

बैंक ने मेसर्स अनंतसुब्रह्मणियन एंड कं., कंपनी सेक्रेटरीज को जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया है जो अच्छे और पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-मतदान प्रक्रिया के संचालन की देख-रेख करेगा।

रिमोट ई-मतदान के निर्देश

1. रिमोट ई-वोटिंग के लिए इस यूआरएल का उपयोग किया जाए:
कार्वी वेबसाइट से: <https://evoting.karvy.com>
2. बैंक के शेयरधारक अपना मत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दर्ज कराएँ भले ही निर्दिष्ट तारीख को वे भौतिक रूप में अथवा अमूर्त रूप में शेयर धारित किए हुए हों।
3. लॉगइन विवरण (यानी ईजीएम की उपस्थिति पर्ची में उल्लिखित यूजर आईडी एवं पासवर्ड) दर्ज करें। आपका फोलियो नं./डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी ही आपका यूजर आईडी होगा।

**Notes**

The explanatory statement is annexed hereto.

APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING, IS ALSO ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF, AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. The proxy form in order to be effective must be received by the Bank at its Share Section, Finance Department, at 2, India Exchange Place, 3rd floor, Kolkata – 700 001 not later than FOUR DAYS before the date of the Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank i.e. upto 5.00 pm on Monday, the 2nd May, 2016. Please note that any employee or officer of the Bank cannot be appointed as proxy as per provision of UCO Bank (Share and Meeting) Regulation, 2003.

The proxy so appointed shall not have any right to speak at meeting but such proxy can attend and vote on behalf of grantor.

APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorised representative of a Company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank with Share Section, Finance Department, at 2, India Exchange Place, 3rd floor, Kolkata – 700 001 not later than FOUR DAYS before the date of the meeting, i.e., on or before the closing hours of the Bank i.e. upto 5.00 pm on Monday, the 2nd May, 2016.

Please note that an employee or officer of the Bank cannot be appointed as authorized representative as per provisions of UCO Bank (Shares and Meetings) Regulation 2003.

ATTENDANCE SLIP CUM ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance slip-cum-Entry Pass is annexed to this Notice. Shareholders/ Proxy holders /Authorised Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorised Representative of shareholders should state in their Attendance Slip-cum-Entry Pass as 'Proxy or Authorised Representative' as the case may be.

VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014, it is mandatory to extend to the shareholders of the Bank, the facility to vote at the Extraordinary General Meeting by electronic means (remote e-voting).

Shareholders of the Bank can transact on the item of the business through remote e-voting system as contained in the Notice of the Meeting.

The Bank has appointed M/s S.N. ANANTHASUBRAMANIAN and Co., Company Secretaries, as Scrutinizer who will oversee the conduct of the remote e-voting process in a fair and transparent manner.

INSTRUCTION FOR REMOTE E-VOTING

1. To use the following URL, for Remote e-voting:
From Karvy website: <https://evoting.karvy.com>
2. Shareholders of the Bank holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Specified date, may cast their vote electronically.
3. Enter the login credentials (i.e., user id and password mentioned in the Attendance Slip of the EGM). Your Folio No./DP ID & Client ID will be your user ID.



4. सही तरीके से विवरण भरने के पश्चात लॉगइन पर क्लिक करें।
5. अब आप पासवर्ड बदलने वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। जहां आपको पासवर्ड अनिवार्य रूप से बदलना पड़ेगा। नए पासवर्ड में कम से कम 8 अक्षर होंगे जिनमें कम से कम एक अपर केस (A-Z), एक लोअर केस (a-z), एक संख्या (0-9) और एक विशेष चिह्न (@, #, \$ आदि) होगा। सिस्टम द्वारा पासवर्ड बदलने तथा पहली बार लॉग-इन करने पर अपने किसी संपर्क विवरण, जैसे मोबाइल नंबर, ई-मेल आदि को अपडेट करने के लिए कहा जाएगा। आप गुप्त प्रश्न में जाकर अपने मन का उत्तर दर्ज कर सकते हैं जिससे यदि आप पासवर्ड भूल जाएं तो उसे पुनः प्राप्त कर सकें। आपको सचेत किया जाता है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा न करें एवं उसे गोपनीय रखने हेतु पूरी सावधानी बरतें।
6. आपको नए विवरण के साथ लॉगइन करना होगा।
7. लॉग इन में सफल होने पर सिस्टम आपको 'इवेंट' यानी 'यूको बैंक' का चयन करने के लिए कहेगा।
8. अंतिम तारीख यानी 30.04.2016 को शेयर धारित करनेवाले शेयरधारक संकल्प के पक्ष या विपक्ष में अपना मत दे सकते हैं।
9. पुष्टि के लिए 'OK' पर या संशोधन करने हेतु 'CANCEL' पर क्लिक करें। एक बार पुष्टि करने के बाद आपको अपने मत के पुनःसंशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। मतदान अवधि के दौरान शेयरधारक कितनी भी बार लॉग इन कर सकते हैं, जब तक कि उन्होंने चुनाव पर मत न दे दिया हो।
10. विविध फोलियो/डी-मैट खाते रखनेवाले शेयरधारक प्रत्येक फोलियो/ डी-मैट खाते के लिए अलग से मतदान प्रक्रिया का चुनाव करेंगे।
11. एक बार संकल्प पर अपना मत दे देने पर बाद में उसे पुनः संशोधित करने का मौका नहीं दिया जाएगा।
12. पोर्टल 04.05.2016 को सुबह 9.00 बजे से लेकर 06.05.2016 को शाम 5.00 बजे तक खुला रहेगा।
13. इस संबंध में किसी भी जानकारी के लिए आप शेयरधारकों हेतु अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा <https://evoting.karvy.com> के डाउनलोड सेक्शन में शेयरधारकों के ई-वोटिंग मैनुअल को देख सकते हैं या कार्बी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि. से संपर्क कर सकते हैं।

असाधारण आम बैठक के स्थल पर मतदान/चुनाव:

रिमोट ई-मतदान के अलावा, मतदान उनके लिए भी आयोजित करवाया जाएगा जिन्होंने रिमोट ई-मतदान का अपना विकल्प नहीं लिया है। मतदान की शुरुआत इस आशय की घोषणा के तुरंत बाद कर दी जाएगी और मतों की संख्या शेयरधारकों द्वारा अंतिम तारीख यानी 30.04.2016 को धारित शेयरों की संख्या के अमृतुल्य होगी।

रिमोट ई-मतदान के नतीजों के साथ समन्वित मतदान का समग्र परिणाम बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा तथा स्टॉक एक्सचेंजों, यानी एनएसई एवं बीएसई एवं ई-वोटिंग एजेंसी (मेसर्स कार्बी कंप्यूटरशेयर (प्रा.) लि.) को भी सूचित किया जाएगा।



4. After entering the details appropriately, click on LOGIN.
5. You will reach the Password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (e-z), one numeric value (0-9) and a special character. The system will prompt you to change your password and update any contact details like mobile, email etc. on first login. You may also enter the secret question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
6. You need to login again with the new credentials.
7. On successful login, the system will prompt you to select the EVENT i.e., UCO Bank.
8. Those holding shares as on the Cut-off Date i.e., 30.04.2016 can cast their vote in favour of or against the resolution.
9. Click OK to confirm else CANCEL to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, shareholders can login any number of times till they have voted on the Election.
10. Shareholders holding multiple folios/demat account shall choose the voting process separately for each folios/demat account.
11. Once the vote on the resolution is cast by the shareholder, he/she shall not be allowed to change it subsequently.
12. The Portal will be open for voting from: 9 a.m. on 04.05.2016 to 5 p.m. on 06.05.2016.
13. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting User Manual for shareholders available at the download section of <https://evoting.karvy.com> or contact Karvy Computershare Pvt. Ltd.

VOTING/POLLING AT THE VENUE OF EGM

Apart from remote e-voting, the voting shall also be conducted for those who have not exercised their option of remote e-voting. The voting will commence immediately after an announcement in this regard is made and the number of votes will be equivalent to the number of shares held by them as on the Cut-off Date i.e. 30.04.2016.

The Results of the voting at the meeting aggregated with the results of remote e-voting will be hosted on Bank's website and shall also be informed to the stock exchanges i.e., NSE & BSE and the e-voting agency (M/s. Karvy Computershare (P) Limited).



सूचना का अनुलग्नक

व्याख्यात्मक विवरण

सेबी आईसीडीआर विनियमन 2009 के अनुसार आवश्यक व्याख्यात्मक विवरण एवं प्रकटन निम्नानुसार है:

क) अधिमानी निर्गम के उद्देश्य

बासल III मानदंडों के कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में बैंक ने अधिमानी आधार पर भारत सरकार को इक्विटी शेयर जारी करके इक्विटी पूँजी बढ़ाने के जरिए सामान्य इक्विटी टियर I पूँजी में वृद्धि करने का निर्णय किया है।

भारत सरकार ने अपने पत्र सं.एफ.नं.7/38/2014-बीओए दिनांक 28 मार्च, 2016 के माध्यम से अपने पक्ष में इक्विटी शेयरों के अधिमानी आबंटन के जरिए रु.935 करोड़ (सम्ये नौ सौ पैंतीस करोड़ मात्र) के पूँजी प्रवेश का निर्णय किया। इस बड़ी हुई पूँजी का उपयोग पूँजी पर्याप्तता में सुधार लाने एवं बैंक की सामान्य व्यावसायिक जरूरतों के लिए निधि उपलब्ध कराने हेतु किया जाएगा।

शेयरधारक नोट करें कि बैंक की प्रमोटर भारत सरकार ने पहले ही अंशदान राशि के रूप में दिनांक 30.03.2016 को रु. 935.00 करोड़ का प्रेषण किया है जिसे बैंक “शेयर एप्लीकेशन धनराशि खाता” में रखे हुए है, तथा सभी सांविधिक/नियमनकारी/ या उनके उनके अनुमोदनों की प्राप्ति के बाद भारत सरकार को शेयर आबंटित किए जाएंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पत्र दिनांक 06.04.2016 द्वारा बैंक को अनुमति प्रदान की है कि वह बासेल III की अपेक्षानुसार 31 मार्च 2016 की स्थिति में उक्त राशि को कामन इक्विटी टियर I के रूप में मान्यता दे।

ख) यह संपूर्ण निर्गम भारत सरकार को किया जा रहा है जो बैंक का प्रवर्तक है।

ग) निर्गम मूल्य अब तक संशोधित सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियम 76 के अनुसार निर्धारित होगा। निर्गम मूल्य निश्चित करने की तय तारीख 07.04.2016 को ध्यान में रखते हुए निर्गम मूल्य रु. 41.47 निर्धारित किया गया है।

घ) निर्गम के पूर्व और पश्चात शेयरधारिता पैटर्न:

क्र. सं.	श्रेणी	निर्गम से पूर्व		निर्गम के बाद	
		धारित शेयरों की सं.	शेयर धारिता का प्रतिशत	धारित शेयरों की सं.	शेयर धारिता का प्रतिशत
क.	प्रवर्तक की धारिता (भारत सरकार)	783333288	72.83	1008797478	77.54
ख.	गैर-प्रवर्तक धारिता	292258424	27.17	292258424	22.46
ग.	कुल	1075591712	100.00	1301055902	100.00

ङ) बैंक सेबी आईसीडीआर विनियमन में बतायी गई निर्दिष्ट समय-सीमा में ही निर्गम प्रक्रिया को पूर्ण करने का प्रयास करेगा।

च) चूंकि यह संपूर्ण निर्गम भारत सरकार को किया जाना है जो बैंक का प्रमुख शेयरधारक एवं प्रवर्तक है, निर्गम के बाद नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

छ) निर्गम के पहले और बाद भारत सरकार की शेयरधारिता निम्नानुसार होगी:

	शेयरों की संख्या	पूँजी का प्रतिशत
निर्गम-पूर्व	783333288	72.83
निर्गम-पश्चात	1008797479	77.54

ज) बैंक के इक्विटी शेयर छ: से अधिक माह के लिए सूचीकृत हैं और तदनुसार सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियम 76(3) एवं 78(5) के प्रावधान लागू नहीं हैं। अतः सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के विनियम 73(1) (एफ) एवं (जी) के तहत प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।



ANNEXURE TO NOTICE

EXPLANATORY STATEMENT

Explanatory Statement and Disclosure as required to be made in terms of SEBI ICDR Regulations 2009 are as follows:

a) **Objects of the Preferential Issue**

As a part of implementation of Basel III norms, Bank decided to enhance its Common Equity Tier I capital by raising equity capital through issue of equity shares to Government of India on preferential basis.

The Government of India vide their letter No.F.No.7/38/2014-BOA dated the 28th March, 2016 decided to infuse Rs.935 crore (Rupees Nine hundred thirty five Crore only) by way of preferential allotment of equity shares in its favour. The capital raised would be utilized to improve the Capital Adequacy and to fund general business needs of the Bank.

Shareholders may note that Government of India, the promoter of the Bank has already remitted an amount of Rs. 935.00 Crore on 30.03.2016 as subscription money. The Bank is maintaining the same in the “Share Application Money Account”, and will allot the shares to GOI after receipt of all statutory / Regulatory /or their approvals. RBI vide their letter dated 06.04.2016 has permitted the Bank to treat the said amount it as part of the Common Equity Tier I as at 31st March 2016 as per BASLE III requirements.

b) **The entire issue will be subscribed by the Government of India – Promoter of the Bank.**

c) **The Issue Price shall be determined in accordance with Regulation 76 of SEBI ICDR Regulations, as amended up to date. The issue price so determined is Rs. 41.47 considering that the relevant date for ascertaining the Issue Price is 07.04.2016.**

d) **Shareholding Pattern before and after the Issue**

Sl. No.	Category	Before the Issue		After the issue	
		No. of shares held	Percentage of shareholding	No. of shares held	Percentage of shareholding
A.	Promoter’s Holding (Government of India)	783333288	72.83	1008797478	77.54
B.	Non –Promoter Holding	292258424	27.17	292258424	22.46
C.	Total	1075591712	100.00	1301055902	100.00

e) **The Bank endeavours to complete the issue process within the prescribed timelines as indicated in SEBI ICDR Regulations.**

f) **As the entire issue is to be made to Government of India, the major shareholder and promoter of the Bank, there would not be any change in control subsequent to the issue.**

g) **The Pre and Post issue shareholding of the Government of India would be as under.**

	Number of Shares	Percentage to Capital
Pre- issue	783333288	72.83
Post -issue	1008797479	77.54

h) **The equity shares of the Bank have been listed for more than six months and accordingly, provisions of Regulation 76 (3) and 78 (5) of SEBI ICDR Regulations are not applicable. Hence disclosures under Regulation 73 (1) (f) & (g) of SEBI ICDR Regulations, 2009 are not applicable.**



- झ) भारत सरकार को निर्गमित एवं आबंटित सभी शेयर, वाणिज्यिक अनुमोदन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए आरक्षित रहेंगे।
- ज) भारत सरकार द्वारा की गई समग्र पूर्व-अधिमानित अवधारिता, संगत तारीख से प्रारंभ करके, स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा स्वीकृत वाणिज्यिक अनुमोदन की तारीख से छः माह तक की अवधि के लिए आरक्षित रहेगी।
- ट) सांविधिक लेखापरीक्षक(कों) द्वारा जारी प्रमाण-पत्र जिससे प्रमाणित होता हो कि यह निर्गम सेबी आईसीडीआर विनियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप किया जा रहा है, को असाधारण आम बैठक के पटल पर रखा जाएगा।
- ठ) भारत सरकार द्वारा धारित सभी शेयर अभौतिक रूप में हैं और जिन स्टॉक एक्सचेंजों में बैंक के इक्विटी शेयर सूचीकृत किए गए हैं, उनके साथ किए गए सूचीकरण समझौते के निर्धारण के अनुसार इक्विटी शेयरों के निरंतर सूचीकरण की शर्तों का बैंक ने अनुपालन किया है।
- ड) भारत सरकार ने संबंधित तारीख से पहले के छः माह के दौरान बैंक का कोई भी इक्विटी शेयर नहीं बेचा है।
- ढ) सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 एवं सेबी आईसीडीआर विनियमन, 2009 के विनियम 72 के अनुसार, बैंक एक विशेष संकल्प के जरिए बैंक के सभी शेयरधारकों को शेयर प्रस्तावित करने के साथ ही साथ अधिमानी आधार पर शेयरों के निर्गम और आबंटन हेतु शेयरधारकों का अनुमोदन चाहता है।
- ण) जहाँ भी अपेक्षित हो, बैंक सेबी आईसीडीआर विनियमन के प्रावधानों के अनुरूप इक्विटी शेयरों के मूल्य की पुनर्गणना का वचन देता है।
- त) बैंक वचन देता है कि यदि इस विनियमन में निर्धारित समयावधि के भीतर मूल्य की पुनर्गणना के कारण देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो निर्दिष्ट प्रतिभूतियाँ उस समय तक आरक्षित रहेंगी जब तक आबंटिती द्वारा ऐसी राशि का भुगतान न कर दिया जाए।
- थ) आपके निदेशक सूचना में यथानिर्दिष्ट विशेष संकल्प को पारित करने की संस्तुति करते हैं।
- द) बैंक के निदेशकों में से किसी का भी इस संकल्प से कोई सरोकार या हित नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 11.04.2016

(आर.के. टक्कर)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी



- i) All the shares issued and allotted to the Government of India shall be locked in for a period of three years from the date of trading approval.
- j) The entire pre-preferential holding of Government of India will be locked for a period commencing from the Relevant Date to a period of six months from the date of trading approval as granted by the stock exchanges.
- k) The Certificate issued by the Statutory Auditor(s) certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of SEBI ICDR Regulations will be tabled at the Extraordinary General Meeting.
- l) All the shares held by the Government of India are in dematerialized mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.
- m) The Government of India has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the relevant date.
- n) In terms of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in terms of Regulation 72 of the SEBI ICDR Regulations 2009, approval of the shareholders of the Bank is required by way of a Special Resolution to issue and allot shares on preferential basis vis-av-s offering shares to all the shareholders of the Bank.
- o) The Bank undertakes to re-compute the price of the equity shares in terms of the provisions of SEBI ICDR Regulations where it is required to do so.
- p) The Bank undertakes that if the amount payable on account of re-computation of price is not paid within the time stipulated in these regulations, the specified securities shall continue to be locked-in till the time such amount is paid by the allottee.
- q) Your directors recommend passing of the Special Resolution as set out in the Notice.
- r) None of the Directors of the Bank are concerned or interested in the resolution.

By Order of the Board Directors

Place : Kolkata
Date : 11.04.2016

(R.K. Takkar)
Managing Director & Chief Executive Officer



यूको बैंक UCO BANK

प्रधान कार्यालय, 10 बी.टी.एम. सरणी, कोलकाता - 700001

परोक्षी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा एवं हस्ताक्षर किया जाना है)

पंजीकृत फोलियो सं.		डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी	
(यदि शेयर अभौतिक न हों)		(यदि शेयर अभौतिक हों)	
शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			

मैं/हम निवासी..... जिलाराज्य
 यूको बैंक, कोलकाता का/के शेयरधारक होने के नाते एतद्वारा श्री/श्रीमतीनिवासी
जिला राज्य को या उनकी अनुपस्थिति में श्री/श्रीमती
 निवासीजिलाराज्य को 7 मई, 2016 को पूर्वाह्न 11.00 बजे भाषा
 भवन ऑडिटोरियम, नैशनल लाइब्रेरी, बेलवेडेयर रोड, अलीपुर, कोलकाता - 700027 में या इसकी स्थगित तिथि को यूको बैंक के शेयरधारकों की
 होनेवाली असाधारण आम बैठक में मेरी/हमारी ओर से मतदान करने के लिए अपना परोक्षी नियुक्त करता हूँ / करते हैं।

दिनांक..... 2016 को दिन हस्ताक्षरित।

कृपया एक
रुपये का
रसीदी टिकट
चिपकाएं

परोक्षी (प्राक्सी) के हस्ताक्षर

प्रथम/एकल धारक के हस्ताक्षर

नाम:

पता:

परोक्षी (प्राक्सी) फार्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुतीकरण हेतु अनुदेश

- परोक्षी लिखत तभी वैध होगा जब
 - व्यक्तिगत शेयर धारक के मामले में उसके/लिखित रूप से विधिवत प्राधिकृत उसके एटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
 - संयुक्त धारकों के मामले में सदस्यों के रजिस्टर में प्रथम नामित शेयर धारक या लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके एटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
 - किसी कंपनी निकाय के मामले में वह, उसके अधिकारी द्वारा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत एटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।
- जिस परोक्षी लिखत पर शेयर धारक अंगूठा निशान अंकित करता है वह तभी वैध होगा जब वह जज, मजिस्ट्रेट या आश्वासनों का रजिस्ट्रार अथवा उप रजिस्ट्रार या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या यूको बैंक के अधिकारी द्वारा सत्यापित हो।
- परोक्षी के साथ
 - मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके तहत उस पर हस्ताक्षर किए गए या
 - नोटरी पब्लिक अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित मुख्तारनामा अथवा प्राधिकार की प्रति असाधारण आम सभा की तिथि से चार दिन पहले अर्थात् व्यवसाय समय की समाप्ति को या उससे पहले अर्थात् सोमवार, 2 मे, 2015 को अपराह्न 02.00 बजे तक या उससे पहले यूको बैंक, वित्त विभाग, (शेयर अनुभाग) 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कोलकाता 700001 में जमा की जानी चाहिए।
- कोई भी परोक्षी तब तक वैध नहीं होगा, जब तक वह **फार्म "बी"** पर एवं विधिवत स्टाम्पित न हो।
- बैंक में जमा की गई परोक्षी लिखत अंतिम तथा अप्रतिसंहरणीय होगी।
- जिस शेयर धारक ने परोक्षी लिखत निष्पादित की है वह उस असाधारण आम बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का हकदार नहीं होगा जिससे वह लिखत संबंधित हो।
- यूको बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को विधिवत प्राधिकृत या परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।



यूको बैंक  UCO BANK

Head Office : 10, B. T. M, Sarani Kolkata - 700001

Proxy Form

(To be filled in and signed by the Shareholder)

Regd. Folio No.		DPID & Client ID	
(if shares are not dematerialized)		(if shares are dematerialized)	
Name of the Shareholder			
Number of Shares			

I/We _____ resident/s of _____ in the district of _____ in the state of _____, being a share holder/shareholders of UCO Bank, Kolkata hereby appoint Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the state of _____ or failing him, Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the state of _____ as my/or our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the shareholders of UCO Bank, to be held on 7th May, 2016 at 11.00 A.M. at Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata - 700027 and at any adjournment there of.

Signed this.....day of.....2016

Please Affix
Re.1/- Revenue
Stamp

Signature of Proxy

Signature of first named/sole Shareholder
Name :
Address :
.....

Instructions for Signing and Lodging the Proxy form

1. No instruments of proxy shall be valid unless,
 - (a) In the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorized in writing;
 - (b) In the case of joint holder, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorised in writing;
 - (c) In the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing,
2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark is affixed thereto, and attested by a judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an Officer of UCO Bank.
3. The proxy together with
 - (a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
 - (b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of UCO Bank, Finance Dept. (Share Section), No.2, India Exchange Place, 3rd floor, Kolkata-700 001 not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting i.e., on or before the closing hours of Bank i.e upto 5.00 PM on Monday the 2nd May, 2016.
4. No instrument of Proxy shall be valid unless it is as per **Form "B"** and is duly stamped.
5. An instrument of Proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
6. In the case of an instrument of proxy granted in favor of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
7. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.
8. No person shall be appointed duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of UCO Bank.

**यूको बैंक**

प्रधान कार्यालय, 10 बी.टी.एम. सरणी, कोलकाता - 700001

उपस्थिति पर्ची

(बैठक स्थल पर प्रवेश के समय इसे जमा किया जाए)

दिन एवं समय : 7 मई, 2016 समय : प्रातः11.00 बजे

स्थान: भाषा भवन ऑडिटरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेल्वेडियर रोड, अलीपुर
कोलकाता - 700027

मैं एतद्द्वारा यूको बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता/करती हूँ।

उपस्थित शेयरधारक/परोक्षी/प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम	पंजीकृत फोलियो /डीपी आईडी/ ग्राहक आईडी सं.	शेयरों की संख्या	हस्ताक्षर

यूको बैंक

प्रधान कार्यालय, 10 बी.टी.एम. सरणी, कोलकाता - 700001

प्रवेश पत्र

असाधारण आम बैठक

दिन एवं समय : 7 मई, 2016 समय : प्रातः11.00 बजे

(बैठक के दौरान अपने पास रखें)

सदस्य / परोक्षी का नाम बड़े अक्षरों में	फोलियो / ग्राहक आईडी सं.	शेयरों की संख्या	हस्ताक्षर

शेयरधारकों/परोक्षी/ प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे बैठक हाल में प्रवेश करने के लिए हस्ताक्षरित उपस्थिति-पर्ची सह प्रवेश-पत्र प्रस्तुत करें। प्रवेश-पत्र वाला अंश शेयरधारकों/परोक्षी/ प्रतिनिधियों को वापस लौटा दिया जाएगा जिसे वे बैठक के अंत तक संभालकर रखें। तथापि, प्रवेश सत्यापन/जाँच, जैसा आवश्यक समझा जाएगा, की शर्त के अधीन होगा। किसी भी परिस्थिति में बैठक के प्रवेशद्वार पर कोई डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश-पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

यूको बैंक

प्रधान कार्यालय, 10 बी.टी.एम. सरणी, कोलकाता - 700001

(बैलेट पेपर जारी किए जाने वाले मतदान काउंटर पर जमा कर दिया जाए)

पंजीकृत फोलियो सं. (यदि शेयर अभौतिक न हों)	डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी (यदि शेयर अभौतिक हों)
शेयरधारक का नाम	
शेयरों की संख्या	
उपस्थित शेयरधारक/परोक्षी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	

तारीख :, 2016



UCO BANK

10, B.T.M. Sarani, Kolkata - 700001

Attendance Slip

(To be surrendered at the time of entry to the Venue)

Date & Time : 7th May 2016 at 11.00 A.M.

Venue: Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore,
Kolkata - 700027

I hereby record my presence at the Extraordinary General Meeting of the Bank.

Name of the Shareholder/Proxy/ Representative present	Regd.Folio / DPID/ Client ID No.	No. of Shares	Signature

UCO BANK

Head Office: 10, B.T.M. Sarani, Kolkata - 700001

ENTRY PASS

Extraordinary General Meeting

Date & Time : 7th May 2016 at 11.00 A.M.

(To be retained throughout the meeting)

Name : in BLOCK letters /Member / Proxy	Folio / Client ID No.	No. of Shares	Signature

Shareholders/Proxy representatives are requested to produce this Attendance Slip-cum-Entry Pass signed, for admission to meeting hall. The Entry Pass portion will be handed back to the shareholders/proxy/representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The admission may, however, be subject to further verification/ checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, will any duplicate Attendance Slip-cum-Entry Pass be issued at the entrance to the meeting hall.

UCO BANK

Head Office: 10, B.T.M. Sarani, Kolkata - 700001

(To be surrendered to the Polling counters for issue of ballot paper)

Regd. Folio No.	DPID & Client ID
(if shares are not dematerialized)	(if shares are dematerialized)
Name of the Shareholder	
Number of Shares	
Signature of the Shareholder/Proxy/ Representative present	

Date :, 2016

